यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड –पौड़ी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – पौड़ी, के माह 11/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार , लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 14/12/2017 से 26/12/2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दीपेश कुमार, मोहम्मद सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26-11-2016 से 7-12-2016 तक श्री डी. एन. मिश्रा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण विभाग का कार्य यह की विभिन्न विभागो के निर्माण कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण, जिला – पौड़ी ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु. लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2014-2015	-	1355.76	196.68	195.42	788.93	966.75	1.25	1177.95
2015-2016	-	1177.95	275.65	195.63	1412.50	1343.72	80.01	1246.73
2016-2017	-	1246.73	195.54	195.13	766.54	1007.44	00.40	1005.83
2017-2018 (माह नवम्बर तक)		1005.83	253.59	168.67	570.26	399.66	--	1176.43

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी "A" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1)सचिव ,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) मुख्य अभियंता स्तर –1(विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, स्तर- 2,
(4) अधीक्षण अभियंता, (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता
(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – पौड़ी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड- पौड़ी, (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह .... 03/2017..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम "व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/2017 तथा 09/2016 तक की गई।
4. फार्म 51: माह ... 11/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ..12107061.00
   भाग द्वितीय ..940530.30
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .. 11/2017 के अन्त में(धनराशि रु मे)
   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... 1220564.00
   (ख) सामग्री क्रय....शून्य
   (ग) नगद परिशोधन....शून्य
   (घ) निक्षेप.... 116374511.00 (रु मे)
   (ङ) भण्डार....48637.00

भाग दो 'अ'

प्रस्तर-1 प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) के निर्माण पर रु. 49.96 लाख की धनराशि का परिहार्य (Avoidable) व्यय।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि फरवरी 2014 में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अधिप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की विशिष्टियां जारी करते हुए इन विशिष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, देहारादून को भी अनुपालनार्थ प्रष्ठांकित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा पत्रांक-2501/ ग्रा.अभि.से./2013-14/दिनांक-22.02.2014 के द्वारा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी विशिष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया था एवं उक्त पत्र की प्रतिलिप समस्त अधिशासी अभियन्ताओं, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी उक्त विशिष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने-अपने अधीक्षण अभियन्ताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जबकि अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि (Annexure 'A') के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का 3812.94 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के विपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाते हुए रु. 111.77 लाख की धनराशि व्यय की गयी। जबकि 04 मीटर तक की ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप में आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी विशिष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ` 13.02 लाख की धनराशि ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के विपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप रु. 49.96 लाख की धनराशि का परिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त सभी निर्माण कार्य स्थलीय आवश्यकता एवं कार्य के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए निष्पादित कराये गए हैं तथापि भविष्य में इस तरह के निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी (अधीक्षण अभियंता) से पूर्वानुमोदन प्राप्त करते हुए निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड तथा मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखंड के आदेशों में स्पष्ट रूप से आदेशित करते हुए 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तथापि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों स्थलीय आवश्यकता थी भी तो प्रखण्ड स्तर पर मुख्य

अभियंता स्तर से उक्त के संबंध में पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित था जैसा कि प्रखण्ड स्तर पर नहीं किया गया।

इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर विभागाध्यक्ष स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप रु. 49.96 लाख की धनराशि का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में रु. 49.96 लाख की धनराशि के परिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- डॉ. भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन के अनियमित निर्माण पर रु. 64.88 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासनादेश संख्या 220/XVII(1)/11-42(प्रकोष्ठ)/2007/दिनांक 07.06.2011 के द्वारा जनपद मुख्यालय पौड़ी में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत डा. भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हेतु ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा रु. 76.93 लाख की धनराशि अप्रैल 2012 में ही प्रखण्ड को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराई गयी थी कि शासन द्वारा निर्धारित एवं भूमि की संरचना के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर निर्माण कार्य करने का कष्ट करें। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड पौड़ी द्वारा उक्त बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हेतु आगणन तैयार करते हुए रु. 99.75 लाख की तकनीकी स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि उपलब्ध धनराशि रु. 76.93 लाख की धनराशि के अंतर्गत ही निर्माण कार्य निष्पादित कराया जाएगा।

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि प्रखण्ड स्तर पर उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए न्यूनतम निविदादाता के साथ अधीक्षण अभियंता स्तर का अनुबंध संख्या 01/एस ई/13-14/ दिनांक 02.05.2013 अनुबंधित धनराशि रु. 71.00 लाख गठित किया गया। उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ एवं पूर्ण किए जाने हेतु निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 02.05.2013 एवं 01.05.2014 थीं। परन्तु उक्त निर्माण कार्य संप्रेक्षा तिथि (दिसंबर 2017) तक भी रु. 64.88 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के उपरान्त भी निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के तीन वर्ष छः माह से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया जा सका था।

उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित विसंगतियाँ भी पायी गईः

1. प्रखण्ड स्तर पर संबन्धित ग्राहक विभाग (समाज कल्याण विभाग) से कोई समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) भी हस्ताक्षरित नहीं किया गया था।
2. उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि से तीन वर्ष छः माह से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी संबन्धित ठेकेदार द्वारा न तो समयवृद्धि ही आवेदित की गयी थी एवं न ही संबन्धित ठेकेदार को कोई विभागीय स्तर पर कोई समयवृद्धि स्वीकृत की गयी।
3. अधीक्षण अभियंता,परिमंडल पौड़ी के द्वारा मई 2017 में संबन्धित ठेकेदार को जून 2017 तक उक्त निर्माण को किसी भी स्थिति में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था अन्यथा अनुबंध निरस्त करते हुए सम्पूर्ण 10 प्रतिशत जमानती राशि जब्त करने हेतु सूचित किया गया था। जबकि संप्रेक्षा तिथि (दिसम्बर 2017) तक उक्त निर्माण कार्य संबन्धित ठेकेदार द्वारा न तो पूर्ण किया गया था एवं न ही प्रखण्ड स्तर उक्त ठेकेदार का अनुबंध निरस्त करते हुए उसकी 10 प्रतिशत जमानती धनराशि जब्त की गयी।
4. जनपद मुख्यालय पौड़ी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत डा. भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण का मूल एवं मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिल्पियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए बाज़ार/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना था परंतु उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति (जून 2011) के 6½ वर्ष बाद भी उक्त निर्माण कार्य के अपूर्ण ही पड़े होने के परिणामस्वरूप उक्त निर्माण कार्य पर ` 64.88 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय किए जाने के उपरांत भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिल्पियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए बाज़ार/विपणन की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि संबंधित विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित नहीं किया गया था तथा स्थल विवाद, विद्युत पोल शिफ्टिंग तथा ड्राइंग पुनरीक्षित होने के कारण कार्य 15 माह से अधिक समय तक बाधित रहा इसके अतिरिक्त अवशेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रभावित है।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उक्त निर्माण कार्य कि अनुबंधित राशि रु. 71.00 लाख थी तथा संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा रु. 76.93 लाख की धनराशि अप्रैल 2012 में ही प्रखण्ड को उपलब्ध करा दी गयी थी जिसको प्रखण्ड वर्तमान तक व्यय नहीं कर पाया था तथा कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के तीन वर्ष छः माह से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अपूर्ण ही पड़ा था।

अतः डॉ भीम राव अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन के अपूर्ण अनियमित निर्माण पर रु. 64.88 लाख की धनराशि के निष्फल व्यय किए जाने के उपरान्त भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिल्पियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए बाजार/विपणन की सुविधा से वंचित रहने संबंधी निष्फल व्यय के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर -2- रु 1220564.00 विविध अग्रिम की धनराशि लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित रहना ।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार विगत 38 वर्षो से 10 वर्षो तक की अवधि से (वर्ष 1979 से 2007 तक की अवधि से) इन अधिकारियों / कर्मचारियों /फर्मों/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 1220564.00 वसूली हेतु लंबित है। इस संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि इस राशि मे रु 538581.00 धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य को कार्यमुक्त हो चुके कर्मचारियो से संबधित है इस संबंध मे उच्च अधिकारियों/ शासन स्तर पर पत्राचार जारी है इसी प्रकार फ़र्मों एव ठेकेदारो से वसूली हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे है ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि इस धनराशि की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए है यदि प्रयास किए जाते तो यह राशि विगत वर्ष 1979 से वर्ष 2007 तक की अवधि के लेनदेन से संबन्धित है और माह 12/2017 (लेखापरीक्षा तिथि) तक वसूली हेतु लंबित है ।

अत: रु 12,20,564,.00 विविध निर्माण अग्रिम धनराशि (वर्ष 1979 से 2007) लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3-: रु 41.38 लाख धनराशि ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा दावा न किए जाने की स्थिति मे अदावाकृत धनराशि को व्यपगत जमा के रूप मे राजस्व में जमा न करना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षो तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं किए जाने पर व्यपगत जमा के रूप मे राज्य सरकार को राजस्व के रूप मे जमा की जानी चाहिए थी परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्न संलग्न विवरण के अनुसार डिपॉजिट पार्ट 2 रु 4138497.00 कुल रु 41.38 लाख धनराशि वर्ष 2005 से वर्ष 2012 तक की अवधि से अवशेष के रूप मे अदावाकृत राशि के रूप मे विगत तीन वर्षो से अधिक समय से पड़ी है । इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- प्रथक –प्रथक आइटम नहीं किया गया है ,विभिन्न कार्यो की एक ही आइटम खोली गयी है जो कि समय–समय पर देयता बनने पर अवमुक्त कर दी जा रही है ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि डिपॉजिट पार्ट -2 मे लेनदेन माह स्पस्ट रूप से अंकित है वर्ष 2005 से वर्ष 2012 तक की लेनदेन अवधि की राशि ही इसमे सम्मिलित की गयी है ।

अत: रु 41.38 लाख धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षो तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा दावा न किए जाने की स्थिति मे अदावाकृत धनराशि को व्यपगत जमा के रूप मे राजस्व में जमा न करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर -4- रु 19262852.00 कोषागार द्वारा चालानो को जमा के रूप मे सत्यापित नहीं किया जाना।

कार्यालय के माह 11/2017 के फार्म -51 के अनुसार निम्नलिखित चालानो को कोषागार द्वारा जमा होना नहीं दर्शाया गया है । जबकि कार्यालय द्वारा निम्न चालानो को कोषागार मे जमा किया जाना दर्शाया गया है । विवरण निम्नलिखित है ।

क्रम संख्या	चालान संख्या	तिथि	धनराशि
1	वर्ष 3/2005 के पूर्व	-	154421.00
2	0098	29/03/2011	7203000.00
3	0067	23/12/2015	32000.00
4	0099	10/2/2016	1838000.00
5	0127	19/2/2016	40300.00
6	0151	23/2/2016	6500000.00
7		24/2/2016	17131.00
8	0226	21/03/2017	912000.00
9	0421	24/03/17	859000.00
10	0547	29/3/2017	900000.00
11	0086	09/3/2017	807000.00
कुल धनराशि			19262852.00

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि उपरोक्त धनराशि रु 192.62 लाख के समाधान हेतु खंड स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि यह भिन्नता कोषागार द्वारा शार्ट इकनोलिजमेंट दिये जाने के कारण हुई है । भिन्नता दूर करने हेतु कोषागार से पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि भिन्नता वर्ष 2005 के पूर्व से लेकर वर्ष 2011 से 3/2017 तक की अवधि से संबन्धित है ।

अत: रु 192.62 लाख धनराशि को कार्यालय द्वारा जमा होना दिखाया गया है जबकि कोषागार द्वारा जमा होना सत्यापित नहीं किया गया है लंबी अवधि से इसका समाधान नहीं किया गया है । रु 192.62 लाख भिन्नता का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
72/2006-2007	शून्य	1,2,3
31/2009-10	-	1,
18/2010-11	-	1,2
66/2011-12	01,	1,
59/2014-15	-	1,2
107/2016-17	-	1,2
योग	**1**	**11**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है । बाद मे प्रेसित की जाएगी ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु ... अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – पौड़ी, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	इ. अनिल कुमार ,	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – पौड़ी, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र ,को प्रेषित की जाए । (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री नरेंद्र सिंह ,
2. कु .प्रगति त्रवेदी
3. श्री क्रषण कुमार

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र